NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 30-07-2025

विषय सूची

» भारत में बाल तस्करी
» क्या भारत न्यूनतम वेतन से आगे बढ़कर जीवन निर्वाह योग्य वेतन ढांचे की ओर बढ़ेगा?
» RBI ने बैंकों, NBFC द्वारा AIF योजना के कोष के 20% तक निवेश की सीमा तय की
» विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट
» नीति आयोग द्वारा भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत
» महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक

संक्षिप्त समाचार

» मूसी नदी
» सेतुबंध विद्वान योजना
» राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना
» CRIB रक्त समूह
» गिनी सूचकांक
» बारबाडोस में, विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप
» DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल के निरन्तर दो सफल उड़ान परीक्षण

भारत में बाल तस्करी

संदर्भ

- बाल तस्करी भारत में सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, और गरीबी, प्रवासन एवं छिद्रपूर्ण सीमाओं के साथ बिहार के निरंतर संघर्ष ने दुखद रूप से इसे एक हॉटस्पॉट बना दिया है।

मानव एवं बाल तस्करी की स्थिति

- मानव तस्करी विश्व भर में सबसे बड़े संगठित अपराधों में से एक है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़ों के अनुसार:
  - भारत में मानव तस्करी के 2,250 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,036 पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें से 2,878 बच्चे थे, जिनमें 1,059 लड़कियाँ शामिल थीं।
    - 2021 में औसतन प्रत्येक दिन आठ बच्चों की तस्करी हुई, जिसमें 44% तस्करी के शिकार नाबालिग थे।
  - 2018 और 2022 के बीच बिहार और राजस्थान में बाल तस्करी के आरोपपत्रों की संख्या सबसे अधिक रही, जिनकी संख्या क्रमशः 1,848 और 2,711 थी।

बिहार का तस्करी संकट

- गरीबी और सामाजिक असुरक्षा, नेपाल के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं, तस्करी-प्रवण राज्यों से रेलवे संपर्क एवं सारण व मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में फैली तथाकथित 'ऑर्केस्ट्रा बेल्ट' की प्रथाओं के कारण बिहार तस्करी का केंद्र बन गया है।
- बिहार पुलिस ने 271 लड़कियों को बचाया, जिनमें से 153 को ऑर्केस्ट्रा और 118 को देह व्यापार में धकेल दिया गया (जून 2025)।

तस्करी के पीछे के कारण (मूल कारण)

- **व्यवस्थागत विफलता:** भारत में सख्त कानूनों के बावजूद, दोषसिद्धि दर बहुत कम है।
  - मामले गलत तरीके से दर्ज किए जाते हैं, अक्सर अपहरण या गुमशुदगी के रूप में, और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) के पास संसाधनों की कमी है।
  - लड़कियों को कभी-कभी उन परिवारों के पास वापस भेज दिया जाता है जिन्होंने उन्हें बेचा था (पुनः तस्करी के जोखिम)।
- **लैंगिक भेदभाव:** लड़कियों को यौन शोषण, घरेलू दासता और जबरन विवाह के लिए असमान रूप से निशाना बनाया जाता है।
- **सस्ते श्रम की माँग और यौन शोषण:** उद्योग और भूमिगत नेटवर्क लाभ के लिए शोषण को जारी रखते हैं।
  - बार-बार बचाए जाने के बाद भी, ऑर्केस्ट्रा बेखौफ होकर कार्य करते रहते हैं।
- **प्रवास और विस्थापन:** प्राकृतिक आपदाएँ, संघर्ष और ग्रामीण-शहरी प्रवास भेद्यता को बढ़ाते हैं।
- **सांस्कृतिक प्रथाएँ:** देवदासी और जोगिन जैसी परंपराओं ने ऐतिहासिक रूप से शोषण को बढ़ावा दिया है।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढाँचे

- **संवैधानिक सुरक्षा:** अनुच्छेद 23 तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
  - अनुच्छेद 39(e)-(f) बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA), 1956:** व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी को अपराध घोषित करता है।
- **POCSO अधिनियम, 2012:** बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015:** तस्करी के शिकार बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करता है।
- **उज्ज्वला योजना:** पीड़ितों की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर केंद्रित है।

- **एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS):** बाल संरक्षण के बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को सुदृढ़ बनाती है।
- **परियोजना जीवनजोत-2 (पंजाब):** भीख मांगते पाए गए बच्चों के पारिवारिक संबंधों की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण शुरू किया गया, जिससे तस्करी के मामलों की पहचान करने में सहायता मिली।
- **बाल कल्याण अवसंरचना:**
  - चाइल्डलाइन 1098 हेल्पलाइन;
  - राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर)।
- **एनजीओ नेटवर्क:** बचपन बचाओ आंदोलन, प्रज्वला एवं संलाप जैसे संगठन बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयासों का नेतृत्व करते हैं।
  - डियर मेन जैसे अभियान, जो वास्तविक जीवन में बचाए गए बच्चों पर आधारित एक लघु फिल्म है, का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना है।

आगे की राह: सुरक्षा के रूप में रोकथाम

- तस्करी से उसके मूल स्रोत पर ही निपटने की आवश्यकता है। इसमें स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी; बाल प्रवास पर नज़र रखने वाले गाँव के रजिस्टर; रेलवे और परिवहन सतर्कता; प्रशिक्षित एएचटीयू कर्मी; नाबालिगों को नियुक्त करने वाले ऑर्केस्ट्रा पर सख्त प्रतिबंध और अभियोजन; राज्य-पर्यवेक्षित पुनर्वास शामिल हैं।
- **अभियोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु**: सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) की एक हालिया रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि अभियोजन तस्करी को रोकने की कुंजी है।
  - गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, 53,651 बच्चों को बचाया गया और प्रत्येक मामले में कानूनी कार्रवाई की गई - यह एक स्पष्ट संकेत है कि न्याय अपराध को रोकता है।
- **PICKET ढाँचा:** बाल तस्करी को समाप्त करने के लिए, भारत को PICKET रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:
  - नीति - बाल शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले स्पष्ट कानून;
  - संस्थाएँ - सुरक्षा और न्याय के लिए सशक्त प्रणालियाँ;
  - अभिसरण - विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय;
  - ज्ञान - जागरूकता अभियान और खुफिया जानकारी साझा करना;
  - आर्थिक व्यवधान - तस्करी को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाना;
  - प्रौद्योगिकी - ट्रैकिंग और रोकथाम के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग।

Source: TH

क्या भारत न्यूनतम वेतन से आगे बढ़कर जीवन निर्वाह योग्य वेतन ढांचे की ओर बढ़ेगा?

संदर्भ

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पारंपरिक "न्यूनतम वेतन" से हटकर एक अधिक व्यापक **"जीवन-यापन वेतन"** ढाँचे पर विचार कर रहा है, जिसमें आवश्यक सामाजिक व्यय शामिल होंगे।

जीवन-यापन वेतन बनाम न्यूनतम वेतन

- न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम राशि है जो नियोक्ता को किसी कर्मचारी को, जीवन-यापन की लागत की परवाह किए बिना, देनी होती है।
  - यह सामन्यतः श्रम उत्पादकता, व्यवसाय, उद्योग के प्रकार और कौशल स्तर जैसे कारकों पर आधारित होता है।
- जीवन-यापन वेतन वह आय है जो एक कर्मचारी और उसके परिवार के लिए एक बुनियादी लेकिन सभ्य जीवन स्तर को वहन करने के लिए आवश्यक है।
  - इसकी गणना भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और आपात स्थितियों के लिए एक छोटे से मार्जिन जैसे आवश्यक व्ययों के आधार पर की जाती है।

भारत में जीवन-यापन वेतन की आवश्यकता क्यों है?

- **बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाने वाली मज़दूरी:** क्वेस कॉर्प एवं उदयती फ़ाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 54% महिला ब्लू- और ग्रे-कॉलर कर्मचारी अपने वेतन से असंतुष्ट हैं, और 80% प्रति माह ₹2,000 से कम बचाती हैं, जो दर्शाता है कि वर्तमान न्यूनतम मज़दूरी एक सभ्य जीवन जीने के लिए अपर्याप्त है।
- **जीवनयापन की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति:** मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारतीय परिवारों की क्रय शक्ति को कम कर रहे हैं, जिससे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को वहन करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
- **सामाजिक मानदंडों में सुधार:** जीवनयापन योग्य मज़दूरी लागू करने से गरीबी कम होगी, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और घरेलू खपत बढ़ेगी।
- **सामाजिक न्याय और मानवाधिकार:** जीवनयापन योग्य मज़दूरी सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक सम्मान के साथ रह सकें और समाज में पूरी तरह से भाग ले सकें।
- **संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप:** यह संवैधानिक अधिदेशों (अनुच्छेद 39 और 43) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा:
  - नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से पर्याप्त आजीविका का अधिकार होगा और
  - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा।
- अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीविका मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने वाली कार्य स्थितियाँ, और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा।

जीविका मजदूरी लागू करने की चुनौतियाँ

- **जीवन-यापन लागत के अद्यतन आंकड़ों का अभाव:** वर्तमान न्यूनतम मजदूरी गणनाएँ 1970 के दशक के गरीबी रेखा के सूत्रों पर आधारित हैं।
  - खर्चों (जैसे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास) पर वास्तविक समय, क्षेत्र-विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सटीक जीवन-यापन मजदूरी का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **व्यापक क्षेत्रीय असमानताएँ:** ग्रामीण, उप-नगरीय और महानगरीय क्षेत्रों में जीवन-यापन लागत में उल्लेखनीय अंतर होता है। एक समान राष्ट्रीय जीवन-यापन मजदूरी संभव नहीं हो सकती है।
- **श्रम बाजार का अनौपचारिकीकरण:** भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जो प्रायः मजदूरी कानूनों और प्रवर्तन तंत्रों के दायरे से बाहर होता है।
- **श्रम संहिताओं में कार्यान्वयन अंतराल:** मजदूरी संहिता 2019, जो एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी और सार्वभौमिक प्रयोज्यता का वादा करती है, अभी तक लागू नहीं हुई है।
  - इन कानूनी ढाँचों के क्रियान्वयन में देरी से सुधार की विश्वसनीयता और गति कम होती है।

आगे की राह

- **एक स्तरीकृत मजदूरी प्रणाली लागू करें:** शहरी, उप-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित, जो वास्तविक जीवन-यापन लागत को दर्शाती हो।

- साथ ही, जीवन निर्वाह वेतन मानकों को संस्थागत बनाएँ, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल के व्यय सम्मिलित हों।
- **लिंग-संवेदनशील श्रम सुधार:** समान कार्यबल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पुराने श्रम कानूनों की समीक्षा और संशोधन करें।
  - कार्यस्थलों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, लैंगिक ऑडिट को बढ़ावा दें।
- **औद्योगिक केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करें:** इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, जहाँ माँग अधिक है।
  - उन क्षेत्रों पर केंद्रित कौशल विकास प्रदान करें जहाँ महिलाएँ स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, जैसे कि सूक्ष्म मोटर कौशल की आवश्यकता वाले क्षेत्र।
- **सुरक्षा के लिए नियोक्ता की ज़िम्मेदारी:** कंपनियों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को, शिफ्ट में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन और आवास प्रदान करने के लिए अनिवार्य एवं प्रोत्साहित करें।
- **सामाजिक संवाद तंत्र:** वेतन सुधारों पर सामान्य सहमति बनाने के लिए सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय परामर्श को बढ़ावा दें।

Source: IE

RBI ने बैंकों, NBFC द्वारा AIF योजना के कोष के 20% तक निवेश की सीमा तय की

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) योजनाओं में विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा निवेश की सीमा तय करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)

- यह एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश है जो निवेशकों से धन एकत्र करता है और उसे गैर-पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करता है।
- ये फंड उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों (HNI) के लिए आदर्श हैं क्योंकि उन्हें उच्च निवेश की आवश्यकता होती है।
- भारत में AIF का नियंत्रण SEBI के पास है।

भारत में AIF के प्रकार

- **श्रेणी I - स्टार्टअप और सामाजिक उपक्रमों में निवेश:** ये फंड उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देते हैं। सरकार प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोत्साहित करती है।
- **श्रेणी II - निजी इक्विटी और ऋण निवेश:** ये फंड विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से निजी इक्विटी, ऋण प्रतिभूतियों या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
  - हालाँकि इन्हें सरकारी प्रोत्साहनों का सीधा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट वित्त में ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये विभिन्न चरणों में कंपनियों में निवेश करते हैं।
- **श्रेणी III - उच्च-जोखिम, उच्च-लाभ निवेश:** ये फंड अधिकतम लाभ के लिए उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

कराधान

- केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्दिष्ट किया गया है कि श्रेणी I और II के वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) द्वारा अर्जित आय को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उस पर 12.5% की दर से कर लगाया जाएगा।
  - अब तक, इस बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं था कि ऐसी आय को कैसे माना जाएगा, लेकिन अब पूंजीगत संपत्ति की परिभाषा का विस्तार करके इसमें आयकर अधिनियम के अंतर्गत AIF द्वारा अर्जित लाभ को भी शामिल कर लिया गया है।

RBI के हालिया दिशानिर्देश

- कोई भी एकल नवीकरणीय ऊर्जा संस्था किसी AIF योजना की निधि के 10% से अधिक निवेश नहीं कर सकती है, और सभी नवीकरणीय ऊर्जा संस्थाओं द्वारा सामूहिक निवेश 20% से अधिक नहीं हो सकता है।
- यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा संस्था किसी ऐसे AIF में 5% से अधिक निवेश करती है जिसका नवीकरणीय ऊर्जा संस्था की देनदार कंपनी (इक्विटी को छोड़कर) में डाउनस्ट्रीम निवेश है, तो नवीकरणीय ऊर्जा संस्था को अपने आनुपातिक जोखिम के विरुद्ध 100% प्रावधान करना होगा।
- अधीनस्थ इकाइयों में निवेश के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संस्था के पूंजीगत कोष से पूर्ण कटौती आवश्यक है।
- ये मानदंड 1 जनवरी 2026 या उससे पहले वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों पर लागू होंगे।

AIF में निवेश के लाभ

- पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न की संभावना, हालाँकि जोखिम अधिक है।
- **विविध पोर्टफोलियो:** निजी इक्विटी, बुनियादी ढाँचा और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता लाने की क्षमता।
- **कम बाज़ार अस्थिरता:** शेयर बाज़ार की अस्थिरता का कम जोखिम, अनिश्चित समय में ज़्यादा स्थिरता प्रदान करता है।

AIF में निवेश के जोखिम

- उच्च न्यूनतम निवेश आवश्यकताएँ
  - लॉक-इन अवधि के कारण सीमित तरलता, जो समय से पहले निकासी को रोकती है, और
  - सेबी के नियम भी फंड के प्रदर्शन और निवेश विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- AIF म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बॉन्ड जैसे पारंपरिक विकल्पों से परे पोर्टफोलियो विविधीकरण प्रदान करते हैं, जो उन्हें अद्वितीय अवसरों की खोज में पर्याप्त पूंजी वाले निवेशकों के लिए आदर्श बनाता है।
- इन्हें निवेश रणनीति के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए अपने लक्ष्यों के अनुरूप एक चुनना महत्वपूर्ण है।
- निवेश करने से पहले, अधिकतम रिटर्न के लिए एआईएफ की श्रेणी, जोखिम और कर संबंधी प्रभावों को समझें।

Source :TH

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट

संदर्भ

- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट जारी कर दी गई है।

बारे में

- यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (लक्ष्य 2.1 और 2.2) - भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने - की वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और पोषण पर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के प्रभाव की जाँच करती है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई।

प्रमुख निष्कर्ष

- **भूख का स्तर:** अनुमान है कि वैश्विक जनसंख्या का 8.2%, अर्थात् लगभग 67.3 करोड़ लोग 2024 में भूख का अनुभव करेंगे, जो 2023 में 8.5% और 2022 में 8.7% से कम है।

- अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उप-क्षेत्रों में भूख में वृद्धि जारी रही।

- **सुधार:** दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं।
  - एशिया में कुपोषण (PoU) की व्यापकता 2022 में 7.9% से घटकर 2024 में 6.7% या 32.3 करोड़ लोग रह गई।
- **अनुमान:** 2030 तक 51.2 करोड़ लोग दीर्घकालिक कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, जिनमें से लगभग 60% अफ्रीका में होंगे।
  - पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता 2012 में 26.4% से घटकर 2024 में 23.2% हो गई।
  - 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की वैश्विक व्यापकता में वृद्धि हुई है, जो 2012 में 27.6% से बढ़कर 2023 में 30.7% हो गई है।
- **खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में चुनौतियाँ:** COVID-19 महामारी के प्रति वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रिया - जिसकी विशेषता व्यापक राजकोषीय और मौद्रिक हस्तक्षेप हैं - यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों एवं चरम मौसम की घटनाओं के साथ मिलकर हाल ही में मुद्रास्फीति के दबावों में योगदान दिया है।
  - 2020 से, वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति लगातार मुख्य मुद्रास्फीति से आगे निकल गई है।
  - कम आय वाले देश विशेष रूप से बढ़ती खाद्य कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

सुझाव

- सुविचारित राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के साथ कमजोर जनसंख्या की रक्षा करें।
- बाजारों को स्थिर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करें।
- स्थायी प्रभाव के लिए संरचनात्मक और व्यापार-संबंधी उपायों को प्राथमिकता दें।
- डेटा एवं सूचना प्रवाह को मज़बूत बनाएँ और उसमें निवेश करें।
- लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों में निवेश करें।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

- **अंगीकरण:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में अपने 70वें सत्र के दौरान, "हमारे विश्व का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" नामक दस्तावेज़ को अपनाया।
  - इस दस्तावेज़ में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है।
  - एसडीजी, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, 1 जनवरी 2016 से लागू हुए।
- **उद्देश्य:** एसडीजी सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक खाका के रूप में कार्य करते हैं।
  - ये लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति और न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं।
- **प्रयोज्यता:** एसडीजी सार्वभौमिक हैं और सभी देशों - विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों - पर लागू होते हैं।
  - देश मुख्य रूप से 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और अनुवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- **वैधता:** सतत विकास लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन गए हैं और देशों में घरेलू व्यय प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं।
- देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन लक्ष्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी लें और एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करें।

Source: WHO

नीति आयोग द्वारा भारत की तृतीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत

संदर्भ

- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के मंत्रिस्तरीय खंड में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की।

परिचय

- **VNR 2025 के बारे में:** नीति आयोग के नेतृत्व में तैयार की गई यह रिपोर्ट राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, विकास भागीदारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई है।
- यह रिपोर्ट विकास संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला में विगत दस वर्षों में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करती है।
- यह VNR, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के प्रति देश की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, HLPF में भारत की तृतीय प्रस्तुति है।

मुख्य विशेषताएँ

- **गरीबी उन्मूलन:** अनुमान है कि लगभग 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी (MPI) से मुक्त हो गए हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों के लिए पोषण सहायता सुनिश्चित की है।
- **स्वास्थ्य एवं पोषण:** पोषण अभियान और आयुष्मान भारत ने गुणवत्तापूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का विस्तार किया है।
- **स्वच्छ ऊर्जा:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त विद्युत योजना जैसे कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को मज़बूत कर रहे हैं।
- **नवाचार और विकास:** भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है।
- **बुनियादी ढाँचा और उद्योग:** पीएम गति शक्ति, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएँ आगामी पीढ़ी के बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रही हैं।

भारत में सतत विकास लक्ष्य कार्यान्वयन

- भारत ने मज़बूत, डेटा-संचालित शासन ढाँचों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे उपकरणों ने राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को बेहतर बनाया है।

- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (एडीपी) एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) जैसी प्रमुख पहल, विशेष रूप से वंचित और विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में, आवश्यक सरकारी सेवाओं की अंतिम बिंदु तक पहुँच सुनिश्चित करने और उनकी परिपूर्णता सुनिश्चित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र का उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ)

- यह 2030 एजेंडा की अंतर्राष्ट्रीय अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा के लिए सबसे प्रमुख मंच है।
- यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।
- एचएलपीएफ में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करते हैं।
- वीएनआर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के लिए आधार का कार्य करते हैं।

निष्कर्ष

- एजेंडा 2030 भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण, विकसित भारत @2047 - स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित भारत - के अनुरूप है, जो समावेशिता, नवाचार और संस्थागत सुदृढ़ता पर आधारित एक एकीकृत विकास रणनीति पर बल देता है।

Source: PIB

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक

संदर्भ

- महाराष्ट्र विधानमंडल ने वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी तरह के संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया है।
  - छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पश्चात महाराष्ट्र पाँचवाँ राज्य है जिसने "ऐसे संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए" जन सुरक्षा अधिनियम लागू किया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **संगठनों को 'गैरकानूनी' घोषित करना:** राज्य सरकार बिना किसी सार्वजनिक सूचना या उचित प्रक्रिया सुरक्षा उपायों के उन संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है जिन्हें वह गैरकानूनी मानती है।
- **अभिव्यक्ति का अपराधीकरण:** धारा 2(f) ऐसे भाषण, हाव-भाव या संकेतों को अपराध घोषित करती है जो "सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं या चिंता का कारण बनते हैं।"
- **प्रतिबंध का बिना सीमा के विस्तार:** एक बार प्रतिबंधित होने के पश्चात, किसी संगठन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि समीक्षा के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- **निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं:** निचली अदालतें इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई नहीं कर सकतीं, जिससे कानूनी चुनौतियाँ और कठिन हो जाती हैं।
- **अधिकारियों को उन्मुक्ति:** 'सद्भावना' से कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को पूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

चिंताएँ और आलोचना

- **अस्पष्ट परिभाषाएँ:** 'गैरकानूनी गतिविधि' एवं 'सार्वजनिक व्यवस्था' जैसे शब्दों का प्रयोग अस्पष्ट है, और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को कमजोर किया जाता है।
- **उचित प्रक्रिया में कमियां:** गिरफ्तारी एवं जब्ती की शक्तियों का प्रयोग केवल संदेह के आधार पर किया जा सकता है, सीमित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और उच्च न्यायालय के माध्यम से अपील के विलंबित मार्गों के साथ।

- **संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन:** धारा 9-10 संपत्ति की बलपूर्वक जब्ती की अनुमति देती हैं। बिना किसी पूर्व न्यायिक निगरानी या मुआवज़े के, अनुच्छेद 300A को कमज़ोर करते हुए।
- **असहमति का दमन:** शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, किसान समूहों, छात्र संघों और नागरिक अधिकार संगठनों को निशाना बनाया जा सकता है।

नक्सलवादी आंदोलन क्या है?

- **उत्पत्ति:** नक्सलवादी आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में आदिवासी और भूमिहीन समुदायों के अधिकारों के लिए एक उग्र वामपंथी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ।
- **भौगोलिक विस्तार:** यह विद्रोह तथाकथित रेड कॉरिडोर में फैला, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे।
- **अपनाया गया दृष्टिकोण:** नक्सली गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते हैं, सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, स्थानीय आबादी से जबरन वसूली करते हैं और प्रायः बच्चों की भर्ती करते हैं।
  - वे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन हिंसक तरीकों का सहारा लेते हैं।

सरकारी पहल

- **सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना:** यह योजना 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की व्यापक योजना की एक उप-योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।
  - केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और निगरानी के लिए निर्धारित जिलों के सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।
- **समाधान रणनीति:** एक व्यापक दृष्टिकोण जिसमें स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड-आधारित केपीआई और केआरए, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजनाएँ और वित्तपोषण तकg' पहुँच की कमी शामिल है।
- **किलेबंद पुलिस थानों की योजना:** विगत 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 612 किलेबंद पुलिस थानों का निर्माण किया गया है।

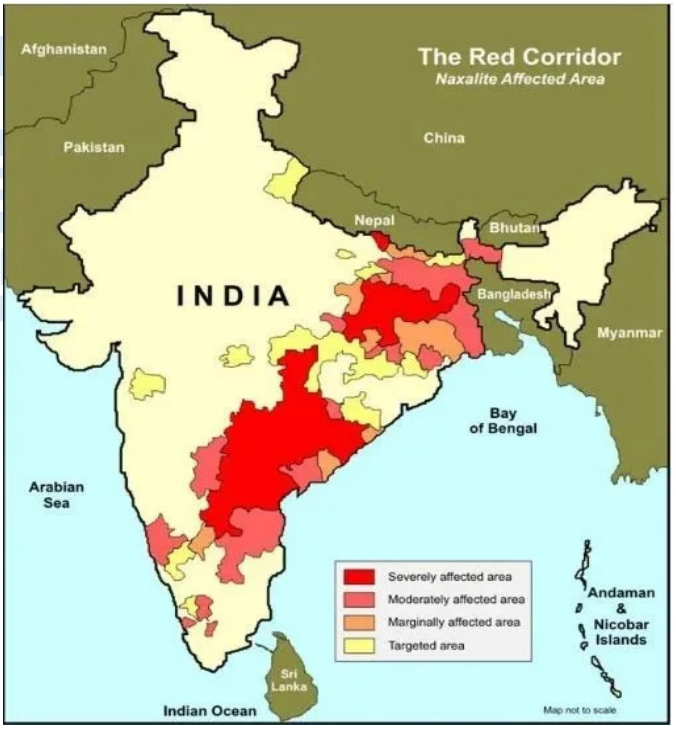

- **आकांक्षी जिले:** गृह मंत्रालय को 35 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।
- **केंद्रित विकास सहायता:** सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए 30 करोड़ रुपये और चिंताजनक जिलों के लिए 10 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा कर रही है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

मूसी नदी

संदर्भ

- हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) ने मूसी नदी तल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

परिचय

- मूसी नदी, कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है।
- **अवस्थिति:** यह भारत के तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है।
- **उद्गम:** यह नदी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के विकाराबाद क्षेत्र में अनंतगिरी पहाड़ियों से निकलती है।
- **जलाशय:** यह नदी हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों में प्रवाहित होती है, जो ऐतिहासिक रूप से हैदराबाद के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करते थे।

Source: TH

सेतुबंध विद्वान योजना

समाचार में

- शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग के साथ साझेदारी में सेतुबंध विद्वान योजना शुरू की है।

सेतुबंध विद्वान योजना

- यह गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत पारंपरिक विद्याओं और कलाओं में गहन प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों के लिए है, जो स्नातकोत्तर या पीएचडी स्तर पर अनुसंधान, शिक्षण एवं शैक्षणिक सहयोग में संलग्न होना चाहते हैं।

Eligibility

- Traditional scholars trained in Gurukula or under a traditional Guru.
- Must demonstrate deep knowledge in Shastric learning through lived experience.
- Maximum age: 32 years at the time of application.
- Certification from Guru/Gurukula in prescribed format is mandatory.

  - सभी डिग्रियाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएँगी।
- चयनित अध्येताओं को ₹40,000 से ₹65,000 की मासिक फ़ेलोशिप और ₹1-2 लाख का वार्षिक आकस्मिक अनुदान मिलेगा।

महत्व

- यह प्राचीन गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शोध के बीच एक सेतु का काम करेगा।
- यह पारंपरिक विद्वानों को मान्यता प्रदान करेगा और शैक्षणिक नवाचार के नए रास्ते खोलेगा।
- इसे भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और औपचारिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पारंपरिक विशेषज्ञता को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

Source: PIB

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना

संदर्भ

- केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

परिचय

- **उद्देश्य:** अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कम आय वाले छात्रों को सशक्त बनाना।
  - यह छात्रवृत्ति विदेश में अध्ययन के अवसर प्रदान करके उन्हें मास्टर डिग्री या पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है।
- **पात्रता:** उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने चाहिए;
  - उम्मीदवार की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए;

- चयन वर्ष में उनकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए;
- और नवीनतम क्यूएस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालयों से बिना शर्त प्रवेश का प्रस्ताव होना चाहिए।

Source: TH

CRIB रक्त समूह

समाचार में

- एक दक्षिण भारतीय महिला में एक "नया" रक्त समूह पाया गया है जिसमें CRIB रक्त समूह नामक एक दुर्लभ प्रतिजन पाया गया है।

CRIB रक्त समूह क्या है?

- CRIB रक्त समूह एक नया खोजा गया रक्त समूह प्रतिजन है जो क्रोमर (CR) रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। "CR" क्रोमर प्रणाली को संदर्भित करता है; "IB" "भारत, बेंगलुरु" को संदर्भित करता है, जो खोज के स्थान को दर्शाता है।
- क्रोमर प्रणाली एक दुर्लभ रक्त समूह वर्गीकरण है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं पर पाए जाने वाले क्षय-त्वरक कारक (DAF) प्रोटीन पर स्थित प्रतिजन शामिल होते हैं।
- ये प्रतिजन रक्त आधान के दौरान होने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वैज्ञानिक महत्व

- CRIB वैश्विक आधान चिकित्सा में एक नई प्रविष्टि है।
- इसकी खोज दुर्लभ रक्त प्रतिरक्षा आनुवंशिकी में भारत के योगदान को उजागर करती है।
- यह दुर्लभ दाता रजिस्ट्री और रक्त वर्गीकरण में वैश्विक सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है।

रक्त समूह की मूल बातें

- रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर वर्तमान विशिष्ट अणुओं (एंटीजन) द्वारा निर्धारित होते हैं।
- ABO और H रक्त समूह अपनी उच्च प्रतिरक्षाजनकता के कारण रक्त आधान चिकित्सा में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली हैं।
  - 30 से अधिक रक्त समूह प्रणालियाँ हैं (जैसे, बॉम्बे, केल, किड, डफी, एमएनएस, आदि)।
- ABO प्रणाली की खोज मूल रूप से 1900 में ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें बाद में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला।

Source: TH

गिनी सूचकांक

समाचार में

- गिनी इंडेक्स ने भारत को 25.5 अंक देकर विश्व के सबसे समान समाजों में स्थान दिया है।

परिचय

- भारत का स्कोर चीन के 35.7 अंक से काफ़ी कम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 41.8 अंक पर है, से काफ़ी कम है। यह G7 एवं G20 के सभी देशों से भी अधिक समान है, जिनमें से कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ मानी जाती हैं।
- भारत "मध्यम रूप से कम" असमानता श्रेणी में आता है, जिसमें 25 से 30 के बीच गिनी स्कोर शामिल हैं, और "कम असमानता" समूह में शामिल होने से बस कुछ ही कदम दूर है, जिसमें स्लोवाक गणराज्य (24.1 अंक), स्लोवेनिया (24.3 अंक) एवं बेलारूस (24.4 अंक) जैसे देश शामिल हैं।
- विश्व बैंक का कहना है कि 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी घटकर 2.3% रह गई है और 2011-23 के बीच 17.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आ गए हैं।

गिनी सूचकांक क्या है?

- यह मापता है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण किस सीमा तक पूर्णतः समान वितरण से विचलित होता है।

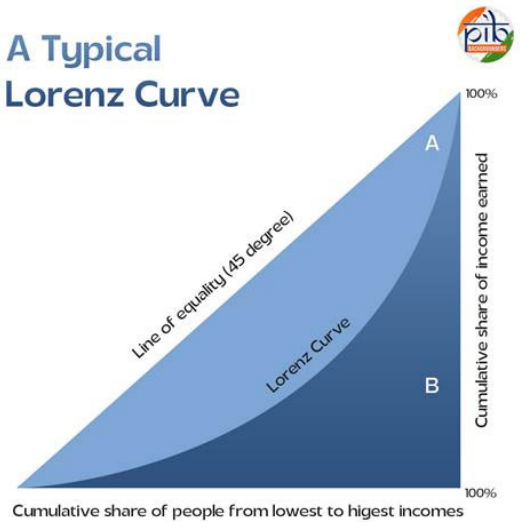

- इसका मान 0 से 100 तक होता है। 0 का स्कोर पूर्ण समानता का संकेत देता है।
  - 100 का स्कोर दर्शाता है कि एक व्यक्ति के पास सारी आय, संपत्ति या उपभोग है और अन्य के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए पूर्ण असमानता है। गिनी सूचकांक जितना ऊँचा होगा, देश उतना ही अधिक असमान होगा।
- ग्राफिक रूप से गिनी सूचकांक को लोरेंज वक्र द्वारा समझाया जा सकता है।
  - लॉरेंज वक्र, प्राप्तकर्ताओं की संचयी संख्या के विरुद्ध प्राप्त कुल आय का संचयी प्रतिशत, सबसे गरीब व्यक्ति या परिवार से शुरू करते हुए, दर्शाता है।
  - पूर्णतः समान वितरण एक विकर्ण रेखा द्वारा दर्शाया जाएगा, जबकि वास्तविक वितरण लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाएगा।
  - गिनी सूचकांक, लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता की एक काल्पनिक रेखा के बीच के क्षेत्र, या दोनों के बीच के अंतर को मापता है, जिसे रेखा के नीचे अधिकतम क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
    - अंतर जितना बड़ा होगा, आय उतनी ही असमान होगी। यह एक स्पष्ट संख्या प्रदान करता है जो दर्शाती है कि आय का वितरण कितना निष्पक्ष है।

Source :TH

बारबाडोस में, विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप

संदर्भ

- बारबाडोस थ्रेडस्नेक को आखिरी बार देखे जाने के 20 साल बाद बारबाडोस में फिर से खोजा गया है।

बारबाडोस थ्रेडस्नेक

- यह विश्व का सबसे छोटा ज्ञात साँप है और यह एक सिक्के पर फिट हो सकता है।
- यह अंधा होता है, भूमि में बिल बनाता है, दीमक और चींटियां खाता है, तथा एक पतला अंडा देता है।

  - पूर्ण विकसित होने पर इसकी लंबाई 10 सेमी तक होती है।
- यह उन 4,800 पौधों, जानवरों और कवक प्रजातियों की वैश्विक सूची में शामिल था, जो विज्ञान के कारण लुप्त हो चुके हैं।
- यह लैंगिक रूप से प्रजनन करता है और मादा एक समय में केवल एक ही अंडा देती है, जबकि कुछ अन्य सरीसृप बिना संभोग के भी उपजाऊ अंडे दे सकते हैं।
- इसकी पुनः खोज संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है तथा दुर्लभ स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा में समुदाय के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय कार्य की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

Source: TH

DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल के निरन्तर दो सफल उड़ान परीक्षण

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट से दूर डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल की निरंतर सफल परीक्षण उड़ानें भरीं।

परिचय:

- प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है।
- **रेंज और पेलोड:** प्रलय की परिचालन सीमा लगभग 150 से 500 किमी है और इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम है।
- **प्रणोदन:** यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है।
- यह मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स से लैस है, जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी सटीक निशाना लगाना सुनिश्चित करती है।

Source: AIR